एफ.सं. 24-3/2005-ज़ेडसीसी
भारत सरकार
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक :.......................

सेवा में,

लेखाधिकारी
वेतन एवं लेखा कार्यालय (अनुभाग),
संस्कृति मंत्रालय,
नई दिल्ली - 110001

विषय : क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र - वर्ष 2005-06 के दौरान रंगमंच नवीकरण की स्कीम के तहत् उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को अनुदान जारी करना।

महोदय,

मुझे वर्ष 2005-06 के दौरान रंगमंच नवीकरण की स्कीम के तहत् कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बंध में आवर्त्ती व्यय वहन करने के लिए उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द को 5,50,000/- रू. (पांच लाख पचास हज़ार रूपए मात्र) के भुगतान हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है। उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र स्वीकृति जारी होने के 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। पिछले अनुदानों के लिए कोई उपयोग प्रमाणपत्र क्षेत्र के पास लम्बित नहीं हैं। क्षेत्र के पास कोई अप्रयुक्त अधिशेष विद्यमान नहीं है।

अनुदान की राशि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (अनुदान), संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निकाली जाएगी तथा इसका भुगतान सीधे निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय सास्कृतिक केन्द्र, पटियाला को किया जाएगा।

वहन किया गया व्यय मांग सं. 20, संस्कृति मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2205" लघु शीर्ष "00. 102"-04.03 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र -04.03.31 सहायता अनुदान (योजना) - 2005-06 के नामे डाला जाएगा।

केन्द्र के लेखाओं का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) में निर्धारित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

केन्द्र केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करेगा तथा राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियमावली 1976 में निहित निर्देशों और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का कार्यान्वयन करेगा।

केन्द्र को दिया जाने वाला अनुदान विभाग की इस संतुष्टि के अध्यधीन होगा कि पूर्ववर्ती भर्ती वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों को भरने में, उसके नियमों और व्यवहार में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व हेतु उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।

व्यय का तरीका वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। यह स्वीकृति वित्त मंत्रालय के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप जारी की जा रही है।

इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आई एफ डी से, उनकी दिनांक 07.09.2005 की डायरी सं. 2472-आई एफ डी के जरिए, और पी एंड बी अनुभाग से, उनकी दिनांक 15.09. 2005 की डायरी सं. 679/पी एंड बी के जरिए, परामर्श करके जारी किया जाता है।

भवदीय

(एम ए. मुरलीधरन)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद। उनसे अनुरोध है कि इस विभाग द्वारा चेक/ड्राफ्ट का यथाशीघ्र प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए वे अनुदान के सम्बंध में रसीदी टिकट पर मूल प्रति सहित दो प्रतियों में एक प्राप्तिका इस विभाग को तत्काल भेजें।
2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (अनुदान), पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली को, एक अतिरिक्त प्रति तथा बिल सहित आर टी आर हेतु मांग के साथ।
3. निदेशक, महालेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व (विशेष प्रकोष्ठ), नई दिल्ली।
4. प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), मुम्बई
5. पी एंड बी
6. आई एफ डी
7. वेतन एवं लेखा कार्यालय (संस्कृति)

(एम ए. मुरलीधरन)

अवर सचिव, भारत सरकार